



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270248
CG-DL-E-18022026-270248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 831]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 831]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 871(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4569 (ई) दिनांक 7 अक्टूबर 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-ii, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:—

क्रम संख्या	मुख्य अधिसूचना में संशोधन योग्य विषय		संशोधित किया जाने वाला विषय
	लोकेन	विषय का विवरण	
1	अधिसूचना	मेघालय राज्य के री-भोई जिले में किमी 0 से किमी 22.1 () तक स्थित भूमि को अधिग्रहित करने का इरादा घोषित करता	मेघालय राज्य के री-भोई जिले में स्थित किमी. 0.000 से किमी 18.930 और किमी 20.600 से किमी 21.810 तक की भूमि को अधिग्रहित करने का इरादा रखने वाली संस्था, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

2	अनुसूची	मेघालय राज्य के री-भोई जिले में किलोमीटर 0 से किलोमीटर 22.1 () तक फैले नए एनएच 6 पर स्थित भूमि के उस खंड का संक्षिप्त विवरण, जिसमें संरचनाएं हों या न हों, अधिग्रहण किया जाना है।	मेघालय राज्य के री-भोई जिले में, नए एनएच-6 पर स्थित 0.000 किमी से 18.930 किमी और 20.600 किमी से 21.810 किमी तक के भूभाग में, संरचनाओं सहित या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।
---	---------	---	--

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Khliehriat/2025/LA/New NH-6 Greenfield/3ACORR]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 871(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 4569(E) dated 7th October 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (ii), namely the Schedule of the said Notification:—

Sl. No.	Matter in Principal Notification that requires amendment		Matter to be Amended as
	Location	Details of Matter	
1	NOTIFICATION	from Km. 0 to Km. 22.1 () in the district of Ri-Bhoi in the state of MEGHALAYA, hereby declares its intention to acquire such land.	from Km. from km 0+000 to km 18+930 and km 20+600 to km 21+810 in the district of Ri-Bhoi in the state of MEGHALAYA, hereby declares its intention to acquire such land.
2	SCHEDULE	Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling New NH 6 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 22.1 in the district of Ri-Bhoi in the state of MEGHALAYA	Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling New NH-6 in the stretch of land from km 0+000 to km 18+930 and km 20+600 to km 21+810 in the district of Ri-Bhoi in the state of MEGHALAYA

[F. No. NHIDCL/PMU-Khliehriat/2025/LA/New NH-6 Greenfield/3ACORR]

SHAIKH AMINKHAN, Director